भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) (RAILWAY BOARD)

सं.ई(डब्ल्यू)2020/पीएस5-2/7 **नई दिल्ली, दिनांक 19.08.2021**

महाप्रबंधक (कार्मिक)
सभी क्षेत्रीय रेलें और उत्पादन इकाइयां

विषय: अप्रयुक्त पास की वैधता अवधि बढ़ाने के संबंध में स्पष्टीकरण।
संदर्भ: बोर्ड का दिनांक 30.06.2021 का समसंख्यक पत्र।

बोर्ड कार्यालय में अभ्यावेदन और आरटीआई आवेदन के माध्यम से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि पास जारीकर्ता प्राधिकारी उपर्युक्त संदर्भित पत्र के अनुसार आंशिक रुप प्रयुक्त पास की वैधता नहीं बढा रहे हैं जिससे पास के अप्रयुक्त हिस्से का प्रयोग करने से वंचित होना पड़ रहा है। पास के अप्रयुक्त हिस्से के संबंध में उदाहरण नीचे दिया गया है:-

"स्टेशन ए से स्टेशन डी तक यात्रा के लिए जारी किए गए पास, जिसमें स्टेशन बी और स्टेशन सी पर यात्रा विराम है, में यात्रा केवल स्टेशन ए से स्टेशन बी तक की गई थी। ऐसे मामले में स्टेशन बी से स्टेशन सी और स्टेशन सी से स्टेशन डी पास का अप्रयुक्त हिस्सा है।"

2. इस संबंध में बोर्ड के उपर्युक्त संदर्भित पत्र के पैरा-2 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिसमें स्पष्ट रूप से यह निर्धारित किया गया है कि सभी अप्रयुक्त पास/पीटीओ की वैधता अवधि 30.09.2021 तक बढ़ा दी जाए। एचआरएमएस के ई-पास मॉड्यूल में आंशिक रूप से प्रयुक्त ई-पास सहित सभी ई-पास टिकटों की बुकिंग के लिए सिस्टम में 30.09.2021 तक पुन: विधिमान्य कर दिए गए हैं। बोर्ड के उक्त पत्र के तहत जारी अनुदेशों पर विचार करते हुए और ई-पास में एकरूपता का अनुपालन करने के उद्देश्य से भौतिक रूप से जारी पास की वैधता भी इसी प्रकार बढ़ाई जाए। तदनुसार आंशिक रूप से प्रयुक्त भौतिक पास की पुन: विधिमान्यता, यदि पहले अवधि न बढ़ाई गई हो, तो 30.09.2021 तक करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने के लिए पास जारीकर्ता प्राधिकारियों को सूचित किया जाए।

(महेश कुमार मीना)
संयुक्त निदेशक, स्थापना (कल्याण)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषित:-
(i) निदेशक (जीए), रेलवे बोर्ड।
(ii) कार्यपालक निदेशक वेतन आयोग-II, रेलवे बोर्ड।